संख्या- 117/2020/3313 /71-1-2020-जी-44/2018टी0सी0

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 05 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा, बदायूँ, अम्बेडकर नगर तथा कन्नौज हेतु मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/36, दिनॉक 20-08-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलक्ट्रिक सेफ्टी में मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में रू0 200.00 लाख की बचत को मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा में रू0 50.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में रू0 50.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में रू0 50.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में रू0 50.00 लाख कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

7- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

8- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों के निर्धारण एवं आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

10- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

11- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

13- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

15- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

16- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-874/दस-2020, दिनॉक 23 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 117/2020/3313 (1)/71-1-2020 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा, बदायूँ, अम्बेडकर नगर तथा कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा, बदायूँ, अम्बेडकर नगर तथा कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बॉदा, बदायूँ, अम्बेडकर नगर तथा कन्नौज।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9 (1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भंली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2020-21		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूँजी	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–72–राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फायटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र–	1500.00	200.00	200.00	200.00	1300.00
कुल योग–	1500.00	200.00	200.00	200.00	1300.00
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूँजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–					
21–राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र–	250.00	300.00	50.00	50.00	300.00
48–राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र–	200.00	250.00	50.00	50.00	250.00
54–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र–	250.00	300.00	50.00	50.00	300.00
56–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र–	150.00	200.00	50.00	50.00	200.00
कुल योग–	**850.00**	**1050.00**	**200.00**	**200.00**	**1050.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फायटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष रू0 200.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

शासनादेश संख्या–91/2020/2883/71–1–2020–जी–133/2018टी0सी0–4 दिनांक–14.08.2020 द्वारा मेडिकल कालेज, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, बदायूँ तथा बाँदा हेतु उपकरणों की सूची प्रेषित करते हुये रू0 706.21 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुपालन में उक्त मेडिकल कालेजों को धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु लगभग रू0 200.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, बाँदा हेतु रू0 50.00 लाख, बदायूँ हेतु रू0 50.00 लाख, अम्बेडकरनगर हेतु रू0 50.00 लाख तथा कन्नौज हेतु रू0 50.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 200.00 लाख धनराशि उपरोक्तानुसार उपकरणों की खरीद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त मेडिकल कालेजों में मानक मद–26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित, स्वीकृत एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् है:–

मेडिकल कालेज का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गई धनराशि	(रू0 लाख में)	
बाँदा	250.00	250.00	13.44		
बदायूँ	200.00	200.00	0.00		
अम्बेडकरनगर	250.00	250.00	13.44		
कन्नौज	150.00	150.00	13.44		

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

आ0ई0 संख्या– 73/ई0-2020 दिनांक 22/9/2020

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

अपठनीय

117/2020

संख्या– 1313 (1)/71–1–2019 तद्दिनॉक, दिनॉक 05 ~~सितम्बर~~ मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

3– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी। बांदा, बदायूं, अम्बेडकर नगर, कन्नौज।

4– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

5– वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बदायूँ। बांदा, बदायूं, अम्बेडकर नगर, कन्नौज।

5– कोषाधिकारी, बदायूँ। बांदा, बदायूं, अम्बेडकर नगर, कन्नौज।

6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)

7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3

8– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस०पी० सिंह
(~~अनिल कुमार~~),
~~संयुक्त~~ सचिव
अनु०